मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

1221

क्रमांक /2471/2013/10-1 भोपाल दिनांक 31 मई 2013

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
(प्रशासन-2)
म0प्र0 भोपाल

विषय : अनुसूचित जातियो,अनुसूचित जनजातियो एवं अन्य पिछडे वर्गो के बैगलॉग/कैरीफारवर्ड पदो की पूर्ति संबंधी कार्यवाही की समीक्षा बैठक।

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक क्षे-स्था-1/2781 दिनांक 09.05.2013

-------0000-------

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का कृपया अवलोकन करे। विषयांकित बैठक दिनांक 28.05.2013 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में लिए गये निर्णय अनुसार निम्नांकित कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश हुए है :-

01 बैगलाग के रिक्त पदो की पूर्ति हेतु 01 जून 2013 तक व्या0प0म0 को निहित प्रपत्र में, मांग पत्र भेजने की कार्यवाही अनिवार्य रूप से करते हुए भर्ती नियमो की प्रति उन्हें उपलब्ध कराने का अनुरोध है।

02 सा.प्र.वि. द्वारा आरक्षण अधिनियम 1994 के तहत 19 वे वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2012 की जानकारी 05 जून तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने का अनुरोध है।

03 समानान्तर आरक्षण के पद कैरी फारवर्ड नही होते है।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही कर, की गई कार्यवाही से अवगत कराने का कष्ट करे।

(हस्ताक्षर) 31.5.13

(बबीता वसुनिया)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

D:\Joshi\joshi\letter.doc382

## मध्यप्रदेश शासन
## सामान्य प्रशासन विभाग

[1] क्रमांक सी- 3-17-83-3-एक, दिनांक 2 नवम्बर, 1985- भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा भूतपूर्व सैनिकों के लिये राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में रिक्तियों का आरक्षण विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

[1] [1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ- इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश के भूतपूर्व सैनिक (राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों, तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी में रिक्तियों का आरक्षण) नियम, 1985 है।

(2) ये 2 मार्च, 1985 से प्रवृत्त समझे जायेंगे।

2. परिभाषाएँ- इन नियमों में जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "संघ के सशस्त्र बल" से अभिप्रेत है नौ सेना, थल सेना या वायु सेना और भूतपूर्व भारतीय रियासतों के सशस्त्र बल सम्मिलित हैं;

(ख) "निशक्त भूतपूर्व सैनिकों" से अभिप्रेत है ऐसा भूतपूर्व सैनिक जो संघ के सशस्त्र बल में या भूतपूर्व भारतीय रियासतों के संयुक्त सशस्त्र में सेवा करते हुए, शत्रु के विरुद्ध या उपद्रवग्रस्त क्षेत्रों में सैन्य कार्यवाही में निशक्त हो गया था;

(ग) "भूतपूर्व सैनिकों" से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जिसने संघ के सशस्त्र बलों में जिसमें भूतपूर्व भारतीय रियासतों के संयुक्त सशस्त्र बल भी सम्मिलित हैं, किसी भी रैंक (लड़ाकू या गैर-लड़ाकू) में कम से कम लगातार छह मास की कालावधि तक सेवा की हो, और-

(एक) जिसे स्वयं के निवेदन पर या अक्षमता के कारण पदच्युत, सेवोन्मुक्त किये जाने से अन्यथा निर्मुक्त किया गया हो या ऐसी निर्मुक्ति के लम्बित रहने तक रिजर्व में अन्तरित किया गया हो; या

(दो) जिसे उपरोकतानुसार निर्मुक्त या अन्तरित किये जाने का हकदार होने के लिये अपेक्षित सेवा की कालावधि पूरी करने हेतु छह मास से अनधिक अवधि के लिये सेवा करनी पड़ी हो;

(तीन) जिसे संघ के सशस्त्र बल में पाँच वर्ष की सेवा पूर्ण करने के पश्चात् स्वयं के निवेदन पर निर्मुक्त किया गया हो;

(घ) "आरक्षित रिक्तियों" से अभिप्रेत है भूतपूर्व सैनिकों द्वारा भरी जाने के लिये नियम 4 के अधीन आरक्षित रिक्तियाँ।

3. लागू होना- ये नियम राज्य की समस्त सिविल सेवाओं तथा पदों, तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी को लागू होंगे।

[2] [4. रिक्तियों का आरक्षण-(1) ऐसी स्थायी रिक्तियों को, जो आरंभ में अस्थायी आधार पर भरी गई हों और ऐसी अस्थायी रिक्तियों को जिनके स्थायी किये जाने की संभावना हो और/या जिनके तीन मास तथा उससे अधिक कालावधि तक बने

(97)

(2) विलोपित

(3) खुली प्रतियोगिता परीक्षा के परिणामस्वरूप अन्यथा भरे जाने वाले किसी पद में किसी भूतपूर्व सैनिक के लिये आरक्षित कोई भी रिक्ति, नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा किसी सामान्य अभ्यर्थी से तब तक नहीं भरी जायेगी जब तक कि उक्त प्राधिकारी ने-

(एक) रोजगार कार्यालय से (जहाँ रोजगार कार्यालय से अधियाचना की गई है) अनुउपलब्धता प्रमाण-पत्र अभिप्राप्त न कर लिया हो;

(दो) पुनर्वास महानिदेशक को निर्देश करके किसी यथोचित अभ्यर्थी की अनुपलब्धता सत्यापित न कर ली हो तथा उस आशय का एक प्रमाण-पत्र अभिलिखित न कर लिया हो, और

(तीन) राज्य सरकार का अनुमोदन अभिप्राप्त न कर लिया हो।

5. **आयु सीमा के सम्बन्ध में उपबन्ध-** राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों, तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी में किसी रिक्त स्थान पर चाहे वह इन नियमों के अधीन आरक्षित हों, या अनारक्षित हों, नियुक्ति के लिये प्रत्येक ऐसे भूतपूर्व सैनिकों को, जो संघ के सशस्त्र बलों में लगातार कम से कम छः मास तक सेवा में रहा हो, उसकी वास्तविक आयु में से ऐसी सेवा की कालावधि घटाने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा यदि इसके परिणामस्वरूप आयु उस पद या सेवा के लिये, जिसके लिये वह नियुक्ति चाहता है, विहित अधिकतम आयुसीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो, तो उसके सम्बन्ध में यह समझा जायेगा कि वह, आयु सीमा से सम्बन्धित शर्त को पूरा करता है।

6. **शैक्षणिक अर्हता के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध-** (1) चपरासी, दफ्तरी, जमादार तथा अभिलेख छाँटने वाले (रिकार्ड सार्टर) के चतुर्थ श्रेणी के पद पर किसी आरक्षित रिक्ति में नियुक्ति के लिये प्रत्येक ऐसे भूतपूर्व सैनिक को, जो संघ के सशस्त्र बलों में कम से कम तीन वर्ष तक सेवा में रहा हो, ऐसे पदों के सम्बन्ध में विहित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता, यदि कोई हो, से छूट दी जायेगी।

(2) तृतीय श्रेणी पदों पर किसी आरक्षित रिक्ति में नियुक्ति के लिये भूतपूर्व सैनिकों के पक्ष में जो संघ के सशस्त्र बलों में कम से कम तीन वर्ष सेवा में रहे हों तथा जो ऐसे पदों पर नियुक्ति के लिये उनके अनुभव तथा अन्य अर्हताओं को ध्यान में रखते हुए अन्यथा विचार योग्य तथा उपयुक्त पाये गये हों, नियुक्ति प्राधिकारी अपने विवेकानुसार न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता को, जहाँ ऐसी अर्हता, मिडिल स्कूल परीक्षा या कोई निम्न परीक्षा उत्तीर्ण होना विहित हो, शिथिल कर सकेगा।

[1][(2-क) तृतीय श्रेणी के पदों पर किसी आरक्षित रिक्ति में नियुक्ति के लिये मैट्रिक उत्तीर्ण ऐसा भूतपूर्व सैनिक, (जिस पद के अन्तर्गत वह भूतपूर्व सैनक भी आता है, जिसने भारतीय सेना शिक्षा विशेष प्रमाण-पत्र या नौ-सेना या वायु सेना का तत्स्थानी कोई प्रमाण-पत्र अभिप्राप्त कर लिया है) जिसने संघ के सशस्त्र बलों में 15 वर्ष से अन्यून सेवा की हो, ऐसे पदों पर नियुक्ति के लिये विचार किये जाने का पात्र हो सकेगा जिनके लिये विहित आवश्यक शैक्षिक अर्हता स्नातक की उपाधि है और जहाँ-

(क) तकनीकी या वृत्तिक प्रकृति के कार्य का अनुभव नहीं है; या

(ख) यद्यपि, गैर-तकनीकी वृत्तिक कार्य का अनुभव होना आवश्यक है ऐसा विहित किया गया है, किन्तु यदि नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि भूतपूर्व सैनिक से अल्प-अवधि का कार्य प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात् उक्त पद के कर्तव्यों का पालन करने की आशा की जा सकती है।